मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय

1. विश्वविद्यालय का नाम : मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय
2. परिनियम का क्रमांक : **परिनियम क्रमांक – 8** विभागों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य
3. अनुमोदन करने वाला प्राध्किरण एवं तिथि : विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिनांक 9.10.96 को अनुमोदित
4. प्रस्तावित परिनियम के प्रभावशील होने की तिथि : विश्वविद्यालय समन्वय समिति के अनुमोदन के दिनांक से

परिनियम :–

दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के बदलते स्वरूप एवं अपने देश में दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए अधिनियम की धरा 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित विभाग प्रस्तावित हैं –

1. योजना, प्रशिक्षण एवं विस्ताव विभाग
   (Department of Planning, Training & Extension)
2. व्यावसायिक पाठ्यक्रम विभाग
   (Department of Vocational Programme)
3. व्यापार प्रबंधन एवं अद्यमवृत्ति विभाग
   (Department of Business Management & Entrepreneurship)
4. कम्प्यूटर, गणनीय गणित एवं संचार विभाग
   (Department of Computer, Computational Mathematics & Communication)
5. नर्सिंग एवं स्वास्थ्य विज्ञान विभाग
   (Department of Nursing & Health Science)
6. प्रौद्योगिकी विभाग
   (Department of Technology)
7. विद्यार्थी सहायता विभाग
   (Department of Students Support)
8. प्रवेश एवं मूल्यांकन विभाग
   (Department of Admission & Evaluation)
9. अकादमिक समन्वय विभाग
   (Department of Academic Coordination)

10. मुद्रण एवं अनुवाद विभाग
(Department of Printing & Translation)

11. बहुमाध्यमीय शिक्षा विभाग
(Department of Multimedia Education)

विभागों के कार्यक्षेत्रा

1. योजना, प्रशिक्षण एवं विस्ताव विभाग

(Department of Planning, Training & Extension)

दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थियों के रूझान, उनकी आवश्यकताओं एवं देश को प्रगति के लिये भावी जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं आदि की जानकारी रखना इस प(ति का एक अनिवार्य अंग है। विशेषकर जहाँ पाठ्यक्रम सामग्री, दृष्य–श्रव्य सामग्री आदि बनाने की आवश्यकता हो तो आर्थिक दृष्टि से भी इस प्रकार की जानकारी निर्णय लेने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। देश और समाज की प्रगति से संबंध्ति योजनाओं को लागू करने में भी विश्वविद्यालय द्वारा शासन एवं अन्य संस्थाओं के साथ अच्छा सहयोग विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार की आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व यह विभाग वहन करेगा। प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं एवं विस्तार के कार्यक्रमों में अहं भूमिका निभाना भी इस विभाग का अन्य उत्तरदायित्व होगा।

2. व्यावसायिक पाठ्यक्रम विभाग

(Department of Vocational Programme)

व्यावसायिक पाठ्यक्रम विभाग, विशेष रूप से देश के युवा वर्ग की नयी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभायेगा। इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता अत्यन्त प्रासंगिक है।

3. व्यापार प्रबंध्न एवं अद्यमवृत्ति विभाग

(Department of Business Management & Entrepreneurship)

नई आर्थिक नीति और उसके जनित कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्ध के माहौल में इस विभाग की महत्ता स्वयं सि(है। इन दिशाओं में जनशक्ति की वर्तमान आवश्यकताओं और उसकी बढ़ी हुई गति को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के अन्तर्गत बनने वाले पाठ्यक्रम भावी परिदृश्य में सपफल योगदान दे सकेंगे।

4. कम्प्यूटर, गणनीय गणित एवं संचार विभाग

(Department of Computer, Computational Mathematics & Communication)

कम्प्यूटर का विकास एवं उसकी बढ़ती उपयोगिता का मुख्य आधर गणित का बदलता परिवेश है, जिसे गणितीय विज्ञान के नाम से बहुत ही व्यापक अर्थों में पिछले कुछ दशकों से संबोध्ति किया जा रहा है। कम्प्यूटर संबंधी शिक्षा एवं उसके ऐसे व्यावसायिक उपयोग जिसमें साधरण प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो अथवा उन्नत प्रौद्योगिकी, गणितीय विज्ञान का समावेश स्वाभाविग रूप से रहता है। कम्प्यूटर में गणनीय गणित भी एक उभरती हुई कड़ी है।

इस विभाग के अन्तर्गत संचार, कम्प्यूटर, गणनीय गणित एवं प्रौद्योगिकी के विकसित स्वरूप का उपयोग करते हुए इनसे संबंध्ति पाठ्यक्रम बनाये जायेंगे। यह विभाग विश्वविद्यालय के समस्त कम्प्यूटर माध्यमों की

देखरेख एवं उसके संचालन आदि का भी काम करेगा। विश्वविद्यालय का डी.टी.पी. केन्द्र भी इस विभाग के अन्तर्गत कार्य करेगा।

5. नर्सिंग एवं स्वास्थ्य विज्ञान विभाग
(Department of Nursing & Health Science)

सुप्रशिक्षित नर्सों का देश में अत्यध्कि अभाव है। एक रपट के आधर पर भारत में सुशिक्षित नर्सों और डाक्टरों के बीच अनुपात 1:5 का है, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात 3:1 का है। इसका अर्थ है कि सुशिक्षित नर्सों की अनिवार्य आवश्यकता है। उनकी समुचित उपलब्ध्ता से स्वास्थ्य की वर्तमान सुविधयें पर्याप्त व्यापक की जा सकती है।

यह भी सत्य है कि देश में बहुत से, विशेषकर गाँवों में, ऐसे भी डाक्टर हैं जो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। इनके लिये विशेश पाठ्यक्रम आदि चलाये जाने की पर्याप्त आवश्यकता महसूस होती है। इसी प्रकार जनस्वास्थ्य संबंधी अनेक दिशाओं में शिक्षण प्रशिक्षण देना इस विभाग का कार्य होगा।

6. प्रौद्योगिकी विभाग
(Department of Technology)

प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी, संचार संबंधी हार्डवेयर एवं जैव संबंधी प्रौद्योगिकी आदि पर आधरित पाठ्यक्रमों का संचालन इस विभाग द्वारा किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के दूरसंचार नेटवर्क के रख रखाव का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जावेगा।

7. विद्यार्थी सहायता विभाग
(Department of Students Support)

प्रस्तुत पुस्तिका के पृष्ठ संख्या नौ एवं दस में बहुमाध्यमीय क्षेत्रीय केन्द्रों एवं बहुमाध्यमीय अध्ययन केन्द्रों की दूरस्थ शिक्षा की प(ति में उपयोगिता एवं आवश्यकता दर्शायी गयी है। इन केन्द्रों के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता के लिए आवश्यक कार्य भी विस्तार से प्रस्तुत किये गये हैं। इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि केन्द्रों के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एक अलग विभाग बनाया जाय।

8. प्रवेश एवं मूल्यांकन विभाग
(Department of Admission & Evaluation)

दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा में प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी लचीलेपन के कारण प्रवेश एवं परीक्षा कार्य सामान्य विश्वविद्यालयों से कई गुना बढ़ जाता है। इस दृष्टि से मुक्त विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के अलग से विभाग होने की आवश्यक परम्परा है।

9. अकादमिक समन्वयन विभाग
(Department of Academic Coordination)

सामान्य आयु वर्ग के ऐसे विद्यार्थी, जो पारम्परिक शिक्षा प(ति में प्रवेश न प्राप्त कर सके या व्यवसाय से जुड़े विद्यार्थियों के लिये प्रचलित पाठ्यक्रमों को चलाने का कार्य इस विभाग का होगा। इस विभाग के अन्दर आने वाली विधओं मे उपलब्ध शिक्षकों की संख्या की दृष्टि से विभिन्न विधओं में अलग–अलग नियुक्ति करने के बजाय पारंपरिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के सहयोग से प्रचलित पाठ्यक्रमों को चलाया जा सकेगा। थ्रस्ट एरिया, शोध कार्य संबंधी समन्वयन भी इस विभाग द्वारा किया जायेगा। मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धरा 5 ऋ1द्ध के प्रावधनों के अनुसार अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परादर्शियों एवं अन्य विश्वविद्यालयों'संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देकर सहयोग लेना भी इस विभाग का कार्य होगा।

दूरस्थ शिक्षा कैप्सूल एवं दूरस्थ शिक्षा प्रौद्यागिकी का पाठ्यक्रम सामग्री में समावेश भी इस विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा।

10. मुद्रण एवं अनुवाद विभाग
(Department of Printing & Translation)

इन्दिरा गाँधे मुक्त विश्वविद्यालय के कई मूल्यवान पाठ्यक्रम अभी केवल अंग्रेजी भाषा में प्राप्त है। इग्नों ने नीतिगत निर्णय लिया हे कि इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के हिन्दी माध्यम के अनुवाद को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

प्रदेश के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उनके हित में यह आवश्यक होगा कि कुछ चुने हुए अध्कि प्रचलित पाठ्यक्रमों को हिन्दी में अनुवाद कर उन्हें उपलब्ध कराया जाय। दूरस्थ शिक्षा कैप्सूल एवं दूरस्थ शिक्षा प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम सामग्री में समावेश संबंधे एवं अन्य प्रकार के मुद्रण कार्यों का संचालन इस विभाग से होगा।

सतीश पाण्डेय
कुलसचिव